न्यायालय विशेष, न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बलरामपुर।

आपराधिक प्रकीर्ण वाद संख्या–128 / 2022

कम्प्यूटरीकृत संख्या–290 / 2022

सी0एन0आर0नं0 यू0पी0बी0पी0 010023722022

रीना बनाम अब्दुल मोबीन

आदेश

दिनांक– 09.11.2022

निस्तारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) दं0प्र0सं0।

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। प्रार्थिनी रीना के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) दं0प्र0सं0 पर विगत नियत तिथि को सुना जा चुका है।

प्रार्थिनी रीना की ओर से विपक्षी अब्दुल मोबीन के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) दं0प्र0सं0 इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिनी रीना पत्नी सुरेश निवासिनी ग्राम दुन्दरा थाना महाराजगंज तराई जिला बलरामपुर की है। प्रार्थिनी पूर्व में ग्राम श्रीनगर थाना धानेपुर में रहती थी। अब्दुल मोबीन पुत्र अब्दुल्ला निवासी ग्राम दुन्दरा थाना महाराजगंज तराई प्रार्थिनी से कहा कि उसका काफी प्रभाव है और वह प्रार्थिनी को पक्का आवास दिला देगा। प्रार्थिनी अनुसूचित जाति की महिला है। विपक्षी अब्दुल मोबीन प्रार्थिनी को मकान दिलाने के बहाने उसके घर आता जाता रहा है। दिनांक 06.10.2022 को समय लगभग 08:00 बजे रात्रि को प्रार्थिनी के घर आया, उसके पति घर पर नहीं थे। प्रार्थिनी को अकेला पाकर उसे पकड़कर उसके साथ जबरिया बलात्कार किया और उसे जातिगत आधार पर अपमानित करने के आशय से खटिक साली की गाली दिया और गले पर चाकू रख दिया और कहा कि शोर मचाएगी तो हत्या कर देगा। प्रार्थिनी ने घटना की सूचना थाने पर दिया था परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई, तब प्रार्थिनी ने घटना की सूचना जरिये पंजीकृत डाक दिनांक 14.10.2022 को पुलिस अधीक्षक, बलरामपुर को दिया परन्तु कोई कार्यवाही नही हुई, तब यह प्रार्थना पत्र प्रार्थिनी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रही है। समर्थन में प्रार्थिनी ने स्वयं का शपथ पत्र 4ख, रजिस्ट्री रसीद 5ख, पुलिस अधीक्षक, बलरामपुर को प्रेषित प्रार्थना पत्र की प्रति 6ख, स्वयं का जातिप्रमाण पत्र 11ख दाखिल किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया।

थाने से इस आशय की आख्या आहूत की गयी कि उक्त मामले में कोई अभियोग पंजीकृत है अथवा नहीं।

थाने से आख्या प्राप्त हुई है कि उक्त मामले में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

1– माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुखवासी बनाम उ0 प्र0 राज्य 2018 जे0सी0 आर0सी0–170.

2–चन्द्रिका प्रति स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य 2007 (4) ए0सी0जे0–157.

3–मोना पवार बनाम हाईकोर्ट आफ जुडिकेटर एक्ट इलाहाबाद क्रिमिनल अपील सं0 298 / 2011, निर्णीत दिनांक 02–02–2011,

4– राम स्वरूप बनाम मो0 जावेद रज़ाक व अन्य (2005) 10 एस0सी0सी0 393 तथा **5– नरेश कुमार वाल्मीकि बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा–482 संख्या–14443/2022 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 17.10.2022 को पारित निर्णय** के अन्तर्गत प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार धारा 156 (3) दं0प्र0सं0 के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में अध्याय–15 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रचलित कर परिवाद मामले के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।

प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र उसके शपथ पत्र से समर्थित है। प्रार्थिनी स्वयं घटना को अपने साक्ष्य से प्रमाणित करने में सक्षम हैं और घटना के समस्त तथ्य एवं साक्षी उसके व्यक्तिगत संज्ञान में है, जिन्हें वह स्वयं साबित करने में सक्षम हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) द0प्र0सं0 को परिवाद के रूप में पंजीकृत करके विधि अनुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

प्रार्थिनी रीना का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) दं0प्र0सं0 परिवाद के रूप में पंजीकृत हो। पत्रावली वास्ते बयान परिवादिनी अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 दिनांक 09.12.2022 को पेश हो।

दिनांक 09.11.2022

(विनोद कुमार–V)
विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम/
अपर सत्र न्यायाधीश,
बलरामपुर।

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.11.09 16:55:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court